मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः**24.04.2025**

बड़े राजनेताओं व प्रमुख व्यक्तियों का नाम लेकर लोगों को फोन कर धमकी देने एवं अनावश्यक लाभ लेने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, 02 अदद मोबाइल बरामद —

थाना को0शहर जनपद मीरजापुर पर दिनांकः23.04.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर के सीयूजी नम्बर-9454400299 पर बड़े राजनेता का नाम लेकर तथाकथित उनका पुत्र बताते हुए अनावश्यक लाभ लेने के उद्देश्य से फोन कर परेशान करने के सम्बन्ध में थाना को0शहर पर मु0अ0सं0-74/2025 धारा 217,221,319(2),318(4),318(2),338,336(3),340(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए क्षेत्राधिकारी नगर/सदर-अमर बहादुर के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित कर यथाशीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0शहर पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में पतारसी-सुरागरसी एवं सर्विलांस/इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांकः24.04.2025 को थाना को0शहर पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर बीएलजे ग्राउण्ड के पास से 02 नफर अभियुक्तों 1.राजन तिवारी पुत्र मोतीलाल तिवारी व 2.अनुज मौर्या पुत्र राजेन्द्र मौर्या निवासीगण बौरिया थाना रामपुर जनपद जौनपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 02 अदद घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया । थाना को0शहर पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया ।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे दूसरो के नाम पर सक्रिय सिमकार्ड को कॉल के दौरान उपयोग करते है ताकि वे पकड़ से दूर रहें। बड़े राजनेता एवं प्रमुख व्यक्तियों के नाम व पद का उपयोग कर धमकी देकर अनावश्यक रूप से काम करने का दबाव बनाते है जिससे अच्छी खासी कमाई कर लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.राजन तिवारी पुत्र मोतीलाल तिवारी निवासी बौरिया थाना रामपुर जनपद जौनपुर, उम्र करीब-25 वर्ष।

2.अनुज मौर्या पुत्र राजेन्द्र मौर्या निवासी बौरिया थाना रामपुर जनपद जौनपुर, उम्र करीब-22 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

02 अदद मोबाइल फोन।

आपराधिक इतिहास —

A) अभियुक्त राजन तिवारी उपरोक्त—

1.मु0अ0सं0-123/2019 धारा 147,323,427,435 भादवि थाना रामपुर जनपद जौनपुर।

2.मु0अ0सं0-94/2021 धारा 353,504,506 भादवि थाना रामपुर जनपद जौनपुर।

3. मु0अ0सं0-09/2022 धारा 501 भादवि व 67 आईटी एक्ट थाना सुरेरी जनपद जौनपुर।

4.मु0अ0सं0-99/2023 धारा 323,504,506 भादवि थाना रामपुर जनपद जौनपुर।

5.मु0अ0सं0-147/2024 धारा 191(2),351(3) बीएनएस थाना रामपुर जनपद जौनपुर।
6.मु0अ0सं0-191/2024 धारा 308(4),351(2),352 बीएनएस थाना रामपुर जनपद जौनपुर।
7.मु0अ0सं0-202/2024 धारा 308(4),351(2) बीएनएस थाना रामपुर जनपद जौनपुर।
8.मु0अ0सं0-70/2025 धारा 115(2),127(2),351(2),352 बीएनएस थाना को0शहर जनपद मीरजापुर।

B) अभियुक्त अनुज मौर्या उपरोक्त —

1.मु0अ0सं0-70/2025 धारा 115(2),127(2),351(2),352 बीएनएस थाना को0शहर जनपद मीरजापुर।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-74/2025 धारा 217,221,319(2),318(4),318(2),338,336(3),340(2) बीएनएस थाना को0शहर,मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

बीएलजे ग्राउण्ड क पास से, आज दिनांकः24.04.2025 को समय 08.35 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा चौकी प्रभारी वासलीगंज थाना को0शहर जनपद मीरजापुर।
मुख्य आरक्षी गुड्डू बिन्द व आरक्षी हरिशंकर थाना को0शहर जनपद मीरजापुर।